संख्या-1/2025/ 872969/2025/84-3-2025/84-3099/48/2024

प्रेषक,

अभिषेक गोयल,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,

उ०प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,

जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता मामले अनुभाग-3 **लखनऊ :: दिनांक- 06 फरवरी, 2025**

विषय- उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयकों के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र दिनांक 11.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयकों का भुगतान किये जाने हेतु रू0 32.32 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण की स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयकों का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या- 21 के अधीन लेखाशीर्ष 6075- विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज- 800- अन्य कर्ज- 03- उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को कर्ज- 30- निवेश/ऋण के मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 32.32 (रूपये बत्तीस करोड़ बत्तीस लाख मात्र) को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-35/2024/बी-2-768/दस-2024-244/2024(।।), दिनांक 27.12.2024 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

(1) उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्तिक देयकों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के विभागीय बजट में नये लेखा शीर्ष के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण के रूप में रू0 32.32 करोड़ (रूपये बत्तीस करोड़ बत्तीस लाख मात्र) धनराशि की जो व्यवस्था की गयी है, वह दस वर्षों में वापस की जायेगी।

(2) अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा उक्त धनराशि रू0 32.32 करोड़ का भुगतान निगम के नियमित कर्मचारियों को ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) मूलधन की पहली किश्त की अदायगी की तिथि ऋण आहरण की पहली वर्षगांठ तिथि होगी। अग्रतर किश्तों की अदायगी इसी प्रकार एक वर्ष की समाप्ति पर पड़ने वाली वर्षगांठ की तिथि को की जानी होगी।

(4) अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय को बाउचर संख्या, तिथि एवं लेखाशीर्षक सहित सूचित करते हुये भेजेंगे।

(5) अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान किया जाय, महालेखाकार कार्यालय को निम्न सूचनायें अवश्य प्रेषित की जाय :-

(1) कोषागार का नाम-
(2) चालान संख्या तथा दिनांक-
(3) जमा धनराशि किश्त-
(4) लेखार्शीषक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त-
(5) शासनादेश संख्या का संदर्भ
(6) पिछले जमा का संदर्भ

(6) अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किये गये आहरण का प्रत्येक वर्ष लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराया जाय।

(7) भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाय कि अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, उ0प्र0, लखनऊ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋणी संस्थान महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करायें।

(8) अधिशासी निदेशक द्वारा उक्त धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(9) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाय।

(10) अधिशासी निदेशक द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 27.12.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या- 21 के अधीन ''लेखाशीर्ष 6075- विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज- 800- अन्य कर्ज- 03-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को कर्ज-30-निवेश/ऋण'' के अन्तर्गत उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयकों के भुगतान के नामें डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-35/2024/बी-2-768/दस-2024-244/2024(।।), दिनांक 27.12.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभिषेक गोयल)
विशेष सचिव।

संख्या-1/2025/ 872969/2025/84-3-2025/84-3099/48/2024-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, लखनऊ।
4. आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियत्रंक खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
8. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. उपभोक्ता मामले अनुभाग-1 /खाद्य तथा रसद अनुभाग-3
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अतल सिंह)
उप सचिव।

http://-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।